न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 89 / 16 (225 आर. टी. एक्ट)
आरसीएमएस संख्या – 2016 / 00290

उनवान

बाबू सिंह पुत्र श्री टीकम सिंह जाति जाट निवासी ग्राम गुदावली तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर हाल निवासी गौरीशंकर कॉलौनी भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. मोहन सिंह पुत्र श्री हीरालाल जाति माली निवासी मथुरा गेट बाहर कच्ची सराय भरतपुर।
2. दलवीर सिंह पुत्र श्री रतन सिंह जाति जाट निवासी ग्राम हन्तरा तहसील नदबई जिला भरतपुर।

..... रेस्पोंडेंट।

अपील संख्याः– 90 / 16 (225 आर. टी. एक्ट)
आरसीएमएस संख्या – 2016 / 00297

उनवान

बाबू सिंह पुत्र श्री टीकम सिंह जाति जाट निवासी ग्राम गुदावली तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर हाल निवासी गौरीशंकर कॉलौनी भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. मोहन सिंह पुत्र श्री हीरालाल जाति माली निवासी मथुरा गेट बाहर कच्ची सराय भरतपुर।
2. विजेन्द्र सिंह पुत्र श्री रमेश चन्द जाति नाई निवासी, 43 राजेन्द्र नगर भरतपुर।

..... रेस्पोंडेंट।

1
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

अपील संख्याः– 91 / 16 (225 आर. टी. एक्ट)
आरसीएमएस संख्या – 2016 / 00296

उनवान

बाबू सिंह पुत्र श्री टीकम सिंह जाति जाट निवासी ग्राम गुदावली तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर हाल निवासी गौरीशंकर कॉलौनी भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. मोहन सिंह पुत्र श्री हीरालाल जाति माली निवासी मथुरा गेट बाहर कच्ची सराय भरतपुर।
2. सुनीता पत्नी थान सिंह जाति जाट निवासी अजीत नगर भरतपुर।

..... रेस्पोंडेंट।

अपील संख्याः– 92 / 16 (225 आर. टी. एक्ट)
आरसीएमएस संख्या – 2016 / 00292

उनवान

बाबू सिंह पुत्र श्री टीकम सिंह जाति जाट निवासी ग्राम गुदावली तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर हाल निवासी गौरीशंकर कॉलौनी भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. मोहन सिंह पुत्र श्री हीरालाल जाति माली निवासी मथुरा गेट बाहर कच्ची सराय भरतपुर।
2. घनश्याम सिंह पुत्र श्री मोहन सिंह जाति जाट निवासी ग्राम हन्तरा तहसील नदबई जिला भरतपुर।

..... रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 225 आर.टी.एक्ट विरूद्ध आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भरतपुर दिनांक 30.08.2016 उनवानी बाबू बनाम मोहन वगै0 प्र0स0 क्रमशः 76 / 10, 75 / 10, 74 / 10, 77 / 10

राजपत्र अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री गोविन्द सिंह डागुर उपस्थित।
2. वकील रैस्पो0 श्री प्रमोद कुमार उपमन उपस्थित।

निर्णय दिनांक :–12.10.2023

1. यह चारो अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर के आदेश दिनांक 30.08.2016 के विरूद्ध पेश की गई हैं।

2. चारो अपीलो मे समान तथ्य, समान विषयवस्तु, समान आराजी होने के कारण एक ही निर्णय से निर्णित की जा रही हैं। निर्णय प्रति पृथक–पृथक, शामिल पत्रावली की जावें।

3. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी/अपीलाण्ट द्वारा चार पृथक–पृथक प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 2 (ए) व धारा 151 जा0दी0 विरूद्ध अप्रार्थी/रैस्पो0 संख्या 01 इस आशय के पेश किये कि प्रार्थी/अपीलाण्ट द्वारा दिनांक 01.08.2008 को आराजी खसरा नम्बर 2751/0.70 है0 स्थित कस्बा भरतपुर चक नं0 03 बाबत् राजस्व दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का तथा उसके साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत किया गया था। जिसमें अस्थाई निषेधाज्ञा प्रा0 पत्र पर बहस एक पक्षीय सुनकर दिनांक 13.08.2008 को अप्रार्थी/रैस्पो0 संख्या 01 को आगामी तारीख पेशी 01.09.08 तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया कि वह वादग्रस्त आराजी के राजस्व अभिलेख व मौके की यथास्थिति बनाये रखें। उक्त दावें में अप्रार्थी/रैस्पो0 संख्या 01 द्वारा दिनांक 01.09.2008 को एक प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 जा0दी0 का प्रस्तुत किया, जो दिनांक 16.03.2010 को खारिज हुआ। उक्त आदेश दिनांक 16.03.2010 के विरूद्ध अप्रार्थी/रैस्पो0 संख्या 01 द्वारा माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर में निगरानी पेश की गयी। जिसके फलस्वरूप दावा व अस्थाई निषेधाज्ञा, दोनों ही पत्रावलियॉ माननीय राजस्व मण्डल को प्रेषित कर दी गयी। एक पक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 13.08.2008 ना तो निरस्त किया गया एवं ना ही उसे कन्फर्म किया गया। इस प्रकार एक पक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 13.08.2008 आज भी प्रभाव में है एवं अप्रार्थी/रैस्पो0 संख्या 01 को उक्त एक पक्षीय आदेश की जानकारी शुरू से होते हुये भी उनके द्वारा दिनांक 21.09.2010 को चार वयनामें क्रमशः श्रीमती सुनीता पत्नी थान सिंह जाट, बृजेन्द्र सिंह पुत्र रमेश चन्द नाई, दलवीर सिंह पुत्र रतन सिंह जाट व घनश्याम सिंह पुत्र मोहन सिंह जाट को निष्पादित कर दिये। इस प्रकार

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

अप्रार्थी/रैस्पो0 संख्या 01 ने एक पक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा की जानबूझकर अवेहलना की गयी है। अतः प्रार्थना पत्र अवमानना पेश करते हुये, अवेहलना के जुर्म का दोषी करार दिया जाकर आर्थिक दण्ड व सिविल कारावास से दण्डित किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त चारो प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किये जाकर, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिये। जिससे व्यथित होकर प्रार्थी/अपीलाण्ट ने यह चारो अपीले इस न्यायालय में पेश की गयी है।

4. चारो अपीले प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

5. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुए तर्क दिए कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून व रूयेदाद मिसिल है, जो काबिल निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में यह अंकित किया है कि अपीलाण्ट बाबू सिंह राजस्व रिकार्ड में खातेदार कृषक दर्ज नहीं है। जबकि विवादित आराजी का इकरारनामा हीरालाल पुत्र श्री भोला जाति माली निवासी मथुरा दरवाजा भरतपुर द्वारा अपीलाण्ट व राजीव कुन्तल के हक में तारीख 31.10.1984 को किया हुआ है। उसके बाद हीरालाल की मृत्यु होने पर हीरालाल के वारिसान मोहन सिंह, कमल सिंह, बृजलाल, बुद्धाराम द्वारा इकरारनामा दिनांक 31.10.1984 को दिनांक 02.07.1986 को स्वीकार किया है। अप्रार्थी/रैस्पो0 मोहन सिंह अधिवक्ता है एवं सारी कानूनी पेचीदगियो को जानता है। उसके बाद इकरारनामा तारीख 31.10.1984 को मानते हुये बुद्धासिंह पुत्र हीरालाल द्वारा एक रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 03.03.1987 को विवादित खसरा नम्बर 3394/4927/0.72 में से 1/9 हिस्सा का अपीलाण्ट व राजीव कुन्तल के हक में पंजीबद्ध कराया है और उसके इन्द्राज बन्दोबस्त विभाग में विक्रय पत्र के आधार पर कर दिये गये। परन्तु बाद में विक्रय पत्र के इन्द्राजो को नजर अन्दाज कर बन्दोबस्त विभाग द्वारा इन्द्राज हीरालाल के वारिसान के नाम कर दिये गये और इसी आधार पर दावा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था जो आज भी विचाराधीन है। अधीनस्थ न्यायालय का यह मत कि इकरारनामा के आधार पर राजस्व न्यायालय में दावा पोषणीय नहीं है कतई गलत है। दावा अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन है और विचाराधीन होते हुये, अप्रार्थी/रैस्पो0 द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 प्रस्तुत किया गया था जो दिनांक 16.03.2010 को खारिज हुआ। इस प्रकार दावा विचाराधीन होते हुये, भी अधीनस्थ न्यायालय का यह मानना कि इकरारनामा के आधार पर दावा पोषणीय नहीं है। तर्कसंगत नहीं है। इसके अलावा उनका यह भी कथन है कि यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि एक पक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने के बाद अप्रार्थी न्यायालय में हाजिर हो जावें और उनको जारीशुदा अस्थाई निषेधाज्ञा की जानकारी हो जावें और उभयपक्ष को सुनकर अस्थाई निषेधाज्ञा को या तो वैकेट कर दिया जावें या कन्फर्म कर दिया जावे तो ही जारी शुदा अस्थाई निषेधाज्ञा निर्णित मानी जाती है

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

और तब तक किसी प्रकार का कोई आदेश पारित नहीं किया जाता है तो एक तरफा में जारी किया गया आदेश प्रभाव में रहता है। अधीनस्थ न्यायालय का एक पक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश, विवादित आराजीयात के रिकार्ड व मौका की यथास्थिति बनाये रखने बाबत् था जिसमें रिकार्ड की यथास्थिति में सब कुछ अन्तर्निहित है। अतः अधीनस्थ का यह मत कि आदेश में रहन, वय, मुन्तकिल करने का आदेश नहीं है। कतई गलत है। माननीय राजस्व मण्डल में आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 के आदेश के विरूद्ध निगरानी मोहन सिंह के द्वारा की गई है ना कि 212 के प्रार्थना पत्र की इसलिये दिनांक 13.08.2018 का जारी किया गया आदेश वक्त वयनामा भी प्रभाव में था और आ भी प्रभाव में है। राजस्व मण्डल का आदेश दिनांक 23.06.2010 का अर्थ यह नहीं है कि एक तरफा जारी किया गया आदेश समाप्त हो गया माननीय राजस्व मण्डल के आदेश का तात्पर्य यह है कि दिनांक 16.03.2010 के आदेश के संदर्भ में दावे में अग्रिम कार्यवाही स्थगित रखी गई हैं।इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप नहीं है। अपने तर्को के समर्थन में राजस्व मण्डल का परिपत्र दिनांक 03.07.2006, डीऐनजे 2010 पेज 744, 2017(2) सिविल कोर्ट केसेज 2017(2) पेज 63, आरआरटी 2006(1) पेज 393, 2013(1) पेज 206, 2019(2) पेज 1194 का उद्धरण पेश करते हुये, चारो अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने का निवदेन किया।

6. रैस्पो0 के विद्वान अभिभाषक ने लिखित बहस पेश करते हुये, जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.08.2008 एक विनिर्दिष्ट समय तक बने रहने का आदेश है। दिनांक 01.09.2008 के बाद उक्त आदेश अस्तित्व में नहीं रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 01.09.2008 के पश्चात् ना तो उक्त आदेश को बढाया एवं ना ही वादी/अपीलाण्ट द्वारा कोई प्रार्थना पत्र अंतरिम आदेश बढाने हेतु ही प्रस्तुत किया गया। इसके अलावा उक्त आदेश में विवादित आराजी को रहन, वय, मुंतकिल करने बाबत् कोई आदेश नहीं है। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा अपने आदेश दिनांक 26.03.2010 निगरानी टी0ए0 संख्या 1076/2010 उनवानी मोहन सिंह बनाम बाबू सिंह में स्थगन जारी किया गया है उक्त आदेश में उन्होंनें अंकित किया है कि स्थगन बाबत् उपखण्ड अधिकारी भरतपुर को लिखा जावें कि उनके आदेश दिनांक 16.03.2010 में की जाने वाली अग्रिम कार्यवाही मण्डल के अन्य आदेश तक स्थगित रखी जावें तथा मूल दावा एवं प्रार्थना पत्र दफा 212 की पत्रावलियॉ तलव की गयी हैं। इस प्रकार रैस्पो0 संख्या 01 द्वारा अपनी खातेदारी की आराजी का विक्रय दिनांक 21.09.2010 को कोई भी किसी प्रकार का स्थगन रैस्पो0 के विरूद्ध अस्तित्व में नहीं था। लिहाजा अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने में कोई कानूनी भूल नहीं की है। आदेश बिल्कुल विधिसम्मत है। विवादित आराजी का एक मात्र खातेदार काश्तकार रैस्पो0 संख्या 01 मोहन सिंह है। अपीलाण्ट का विवादित आराजी का कही भी नाम व हिस्सा आराजी मुतनाजा पर

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

नहीं है। अपीलाण्ट स्ट्रेन्जर व्यक्ति है एवं उसका वाद पत्र अपंजीकृत इकरारनामा तथा एडवर्स पजेशन के आधार पर था। इसलिये वाद पत्र विधिक रूप से निषिद्ध है। रैस्पो0 ने अपनी आराजी का विक्रय दिनांक 21.09.2010 को किया है। दिनांक 21.09.2010 को कोई भी किसी प्रकार का स्थगन रैस्पो0 के विरूद्ध अस्तित्व में नहीं था। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर सीसीसी 2020(4) पेज 455, राजस्व ग्रुप–6 विभाग का परिपत्र दिनांक 05.04.2006, आरआरडी 14.05.2017 पेज 297, डीएनजे(एस.सी) 2007–08 पेज 217, 2018 पेज 103, 2010(2) पेज 994, आरआरटी 2011(1) पेज 01, शासन उप सचिव, राजस्व, राजस्थान सरकार का नोटिफिकेशन (परिपत्र) दिनांक 05.04.2006 का उद्धरण पेश करते हुये, चारो अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

7. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में दिनांक 13.08.2008 को दिनांक 01.09.2008 तक एक पक्षीय अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गयी थी एवं प्रकरण में अन्तिम निर्णय पारित नहीं हुआ। तत्पश्चात् अप्रार्थी द्वारा प्रकरण में प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 प्रस्तुत किया गया जो दिनांक 16.03.2010 को खारिज हुआ। जिसकी रिवीजन अप्रार्थी द्वारा माननीय राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गयी। जिसमें माननीय राजस्व मण्डल द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 16.03.2010 में की जाने वाली अग्रिम कार्यवाही मण्डल के अन्य आदेश तक स्थगित रखी जाने एवं मूल दावा व प्रार्थना पत्र दफा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की पत्रावलियों को तलब कर लिया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय में दावा एवं प्रार्थना पत्र 212 की कार्यवाही स्थगित हो गयी एवं रैस्पो0 द्वारा विवादित आराजी को जरिये रजिस्टर्ड वयनामा दिनांक 21.09.2010 से विक्रय कर दिया। प्रश्न यह है कि क्या एक पक्षीय अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा की पालना का बिन्दू, प्रार्थना पत्र अवमानना में निर्णित किया जा सकता है। वकील अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश का है। जबकि अभिभाषक रैस्पो0 द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीर डीएनजे 2010(2)(राज0) पेज 994 राजस्थान का है। हमने उक्त न्यायिक दृष्टान्त का न्यायिक मस्तिष्क से अवलोकन किया। जिसमें माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि "अंतरिम आदेश की पालना का बिन्दू अवमानना याचिका में निर्णित नहीं किया जा सकता एवं ऐसे अंतरिम आदेशो के विरूद्ध अवमानना याचिका चलने योग्य नहीं है। न्यायिक व्यवस्था का सुस्थापित सिद्धान्त है कि प्रत्येक न्यायालय को अपने से उच्चतर न्यायालय के निर्णय का सम्मान तथा पालन करना चाहिये। अतः उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्त की रोशनी में हम अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य पाते हैं। इसके अलावा हम यह भी पाते हैं वादी अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में दावा इकरारनामा के आधार पर प्रस्तुत किया गया था। विधिअनुसार इकरारनामा के आधार पर दावा श्रवण का अधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त ना होकर सिविल न्यायालय को है। इसलिये भी अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य रहती है।

8. अतः आदेश है कि चारो अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भरतपुर के निर्णय दिनांक 30.08.2016 यथावत रखे

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

जाते हैं। चारो पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावें।

9. निर्णय आज दिनांक 12.10.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12.10.23

(अखिलेश कुमार पिपल)
आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर